

डिक्री व मुकदमें इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
इजलास श्री नैमा राम

हरीराम बनाम रामकरण वंजरी

दावा बाबत 88, 188 आर टी एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 110/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु व वकुलाय हाजरी वकील ओमप्रकाश कुम्हार

मनजानिव मुदई वकील मधुसूदन चौधरी व मन्वर कुमी चौधरी मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि

वादी का वाद खीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम साथीन डे

पटवार मठल साथीन चक्र II के खसरा संख्या

में वादी एवं जतिवकीण रु. व. 4 बुधराम पुन चौधराम,

रु. व. 5 ककमोडी पत्नी परदाराम का हक दिक्का तहसीलार

पीपाड़ शहर के प्राप्ति बंटाई अस्तित्व दिनांक 16.04.2015 मय

नजरी नम्ब्रा अनुहार रहेगा। तहसीलार पीपाड़ शहर से प्राप्ति

बटाई अस्तित्व मय नजरी नम्ब्रा उम्ह निर्णय एवं डिक्री

के आगे रहेगे। तहसीलार पीपाड़ शहर उम्हा हुकम

राजस्व रेकॉर्ड में उपस्थित दार्भवादी हरे। एवं जतिवकीण

वादी के कब्जे का इतरक उपयोग उपयोग में किसी प्रकार की दखलंदाली

नहीं करे।
मीज शून्य मुवलिक शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमें

मय सूद व शरद शून्य फीसदी सालाना आज की तारीख से

देख वसूलयाबी तक शून्य को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10.2015 को जारी की गई।



(Signature)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
ओह पीपाड़ शहर (जोधपूर)

	रुपया	पै.	मुदायला	रुपया	पै.
मय अरजोदाबा मय वकालतनामा मय वजह सबूत नताना वकील र्वा गवाहान स कमिश्नर व्रत इजराय हुकमनामा फर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान.....				मीजान.....	

ट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नो दर्ज करना चाहियें।